इजलास श्री विरन्द्र सिंह (आर.ए.एस) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं ...
मजिस्ट्रेट कोटपूतली

र्थना पत्र संख्या – 32/2014

ामती सदा कंवर बनाम डालू आदि

प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम

आदेश दिनांक : 14.1.16

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र 14 (4) का मय दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत र निवेदन किया। दफा 5 के प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि प्रार्थीया ने उपरोक्त गत प से किये गये आवन्टन की जानकारी दिनांक 20.04.2014 को गांव में सुनका सुनकी ोने पर प्राप्त हुई। तब न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के यहां ावन्टन समिति द्वारा किये गये आवन्टन की नकल हेतु आवेदन दिनांक 22.04.2014 को केया। नकल प्राप्त कर प्रार्थीया बिना देरी किये उक्त आवंटन के विरूद्ध उक्त प्रार्थना त्र वास्ते निरस्त करने आवन्टन प्रस्तुत कर रखा है। उक्त प्रकरण में जो देरी हुई है ह जानबुझकर नही हुई बल्कि अज्ञानतावश हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त प्रकरण में जो देरी हुई उसे कन्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद लिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी ने बिना जबाब दिये सीधी बहस करने का निवेदन किया।

हमने वकील उभय पक्षो की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि अलाटमेन्ट दिनांक 30.09.1994 को हुआ है। जिसकी जानकारी प्रार्थीया को गॉव में बातचीत के दौरान नकल दिनांक 22.04.2014 के लेने पर हुई। नकल लेने के तुरन्त दिनांक 12.05.2014 को धारा 14 (4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। उक्त प्रकरण को प्रस्तुत करने में देरी प्रार्थीया द्वारा अज्ञानतावश हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में हुई देरी कन्डोन कर प्रार्थना पत्र में सुनवाई का अवसर प्रदान करे।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अलान्टमेन्ट 1994 में हुआ तथा लीज सन 2004 में हुई है अर्थात अलाटमेन्ट के समय प्रार्थी का भूमि पर कोई हक नही था। प्रार्थी को अलाटमेन्ट की जानकारी नकल लेने पर ही हुई इससे पूर्व इनको अलाटमेन्ट के बारे में जानकारी नही थी। इस बाबत प्रार्थीया ने कोई सबूत भी प्रस्तुत नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में आर. आर.टी. 2011 (1) पेज 383 पेश किया है।

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया ने दफा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया है कि अलाटमेन्ट 1994 में हुआ तथा प्रार्थीया को इसकी जानकारी 2014 में हुई परन्तु प्रार्थीया ने इस बाबत कोई साक्ष्य अथवा सबूत अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश नही किया है। अप्रार्थी संख्या 1 को सन 1994 में भूमि खसरा नम्बर 14 वाके मोजा बूचारा आवंटित हुई तथा उसके 10 वर्ष पश्चात सन 2004 में गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई। इसके उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रकरण

में आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के द्वारा पक्षकार बने मदनमोहन पुत्र कंवरसिंह को भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी। इस 20 वर्ष के अन्तराल में भूमि का टाईटल एवं कब्जा ही परिवर्तित हो गया और प्रार्थीया का कथन है कि उसे इस बाबत कोई जानकारी नही थी। इस बात से हम सहमत नही है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14-1-16 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)